यूएनएफपीए भारत-भूटान प्रतिनिधि द्वारा एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास उपाध्यक्ष प्रोफेसर पी.जे. कुरियन से मुलाकात

जुलाई 25, 2013

(बायें से) प्रो. पी.जे. कुरियन, सुश्री फ्रेडेरिका मेजर एवं श्री मनमोहन शर्मा।

सुश्री फ्रेडेरिका मेजर, भारत में यूएनएफपीए प्रतिनिधि द्वारा माननीय प्रो. पी. जे. कुरियन, राज्यसभा उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास को अपने कार्यालय में बुलाया गया एवं भारत में जनसंख्या तथा विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास द्वारा आयोजित बैठक में, सुश्री मेजर ने भारत में युवाओं के लिए यौन शिक्षा के महत्व तथा परिवार नियोजन उपाय अपनाकर जनसंख्या स्थिरीकरण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। माननीय प्रो. पी.जे. कुरियन एवं सुश्री मेजर दोनों ने व्यापक यौन शिक्षा प्रदान कर इंटरनेट के उपयोग के महत्व पर बल दिया। सुश्री मेजर ने जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर यूएनएफपीए एवं संसदीय संस्थाओं विशेष रूप से संसदीय समितियों तथा मंचों के बीच उचित सहयोग एवं समन्वय के महत्व पर भी प्रकाश डाला। प्रो. कुरियन ने कहा कि इन एजेंसियों को प्रभावी बनाने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा जनसंख्या–संबंधी मुद्दों से संबंधित नोडल मंत्रालयों को समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपाध्यक्ष, राज्य सभा; कार्यवाहक अध्यक्ष, एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास तथा अध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास दोनों पदों की हैसियत से ऐसे समन्वित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में अपना पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। इस संबंध में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास के कार्यकारी सचिव, श्री मनमोहन शर्मा, जो इस बैठक में मौजूद थे, वे इस दिशा में यूएनएफपीए तथा भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास/एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास के बीच सहयोग के लिए रास्ते तलाशने में मदद करेंगे।

भारत: विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रमुख द्वारा भारतीय संसदीय नेटवर्क से मुलाकात

नई दिल्ली, अक्टूबर 28, 2013

डा. मालीन तेम्मरमन, निदेशक, प्रजनन स्वास्थ्य एवं अनुसंधान, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं उनके सहयोगी डा. मार्टिन वेबर द्वारा हाल के भारतीय दौरे पर आने के दौरान भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास के प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए अत्यंत प्रसन्न थे।

अपनी शाम की बैठक में उन्होंने श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास के साथ ही संस्थान की तकनीकी सलाहकार समिति सदस्यों डा. सी.पी. तलवार तथा डा. जे.एस. यादव से मुलाकात की। उन्होंने आईसीपीडी कार्ययोजना से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास के प्रतिनिधि बैठक के परिणाम से खुश थे तथा उन्होंने भविष्य में इस दिशा में परस्पर सहयोग करने एवं इस कार्यसूची को आगे बढ़ाने की आशा व्यक्त की।

(बायें से) डा. मालीन तेम्मरमन, डा. मार्टिन वेबर, डा. जे.एस. यादव, डा. सी.पी. तलवार एवं श्री मनमोहन शर्मा।

जनसंदेश

संपादक
मनमोहन शर्मा
जनसंदेश एक त्रैमासिक पत्रिका है

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास
(संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष परामर्शदाता स्थिति)
1/8, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खेल गाँव मार्ग, नई दिल्ली–110049
दूरभाष: 011–41665561/68/66/76, फैक्स: 011-41665680
ईमेल: iapod@airtelmail.in, वेब साईट: www.iapod.org

Adia Enterprises: 9811854651

अंक 13, संख्या 3–4

जुलाई–दिसम्बर 2013

जनसंदेश

भारतीय संसदीय संस्थान – जनसंख्या एवं विकास का त्रैमासिक न्यूज़लेटर

जनसंख्या एवं वयोवृद्धता: स्वस्थ वयोवृद्धता तथा जीवंत अर्थव्यवस्था हेतु एक नए प्रतिमान की ओर संबंधी अंतराष्ट्रीय सांसदों का सम्मेलन

टोकियो, जापान, नवम्बर 18–20, 2013

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एवं एशियाई जनसंख्या विकास संघ द्वारा नवम्बर 18–20, 2013 को टोकियो, जापान, में जनसंख्या एवं वयोवृद्धता: स्वस्थ वयोवृद्धता एवं जीवंत अर्थव्यवस्था हेतु एक नए प्रतिमान की ओर विषय पर अंतराष्ट्रीय सांसदों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूरोप सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख जापानी अधिकारियों एवं विभिन्न देशों के प्रभावशाली विशेषज्ञों तथा लगभग सभी महाद्वीपों के 31 देशों के प्रतिनिधि सांसदों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने वयोवृद्धता एवं मजबूत समाज पर अपने–अपने विचारों का आदान–प्रदान किया। दक्षिणी अमेरिका, उप–महाद्वीप जो वयोवृद्धता से नहीं बच पाया है, ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

डा. भालचंद्र मुंगेकर, सांसद, एवं डा. अलका बलराम क्षत्रिय, सांसद, सम्मेलन में।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से डा. भालचंद्र मुंगेकर, सांसद; डा. अलका बलराम क्षत्रिय, सांसद, एवं श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास, ने सम्मेलन में भाग लिया।

इस तीन–दिवसीय सम्मेलन के बाद टोकियो महानगरीय क्षेत्र में स्थित इडोगावा शहर का अध्ययन–दौरा करना शामिल था। सांसद इस बात के प्रथम गवाह हैं कि कैसे सर्वाधिक तीव्र वयोवृद्ध जनसंख्या वाले देश इस विशिष्ट जनसंख्या संक्रमण से निपटते हैं। यहां प्रतिभागियों के लिए कई कार्यक्रम थे जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ जापानी पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन भी शामिल था। वृद्ध सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं, एक सांसद का कहना था, इस तरह के नृत्य सीखने के अभ्यास से जोड़ते हैं। एक अन्य केन्द्र के दौरे में वयोवृद्धों हेतु चीनी भाषा का कार्यक्रम था। "लचीलापन एवं बुजुर्गों की प्रतिबद्धता", एक अन्य सांसद ने टिप्पणी की।

अगले 25 वर्षों के घोषणापत्र में, दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी पीढ़ी देखी गई है। सांसदों को जागरूक करने के लिए दो समग्र चुनौतियां हैं। पहली, हम कह सकते हैं कि दुनिया में वयोवृद्धों की अब तक की यह सबसे बड़ी पीढ़ी है, यदि हमने इसमें संतुलन बनाए रखने हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की। दूसरी, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आजीन जीवन के लिए यह सजा नहीं है, बल्कि जीवन में एक साहसिक अवस्था हेतु प्रवेश द्वार है, यदि सभी देश प्रतिबद्ध हों, तथा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वयोवृद्धों हेतु सहायक वातावरण जैसे पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं एवं उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने संबंधी समुचित नीतियों का कार्यान्वयन करना।

डा. अलका बलराम क्षत्रिय, सांसद, द्वारा 19 नवम्बर, 2013 को "वैश्विक निगम: वयोवृद्धों हेतु भूमिका एवं रणनीतियां" संबंधी सत्र की अध्यक्षता की गई तथा डा. भालचंद्र मुंगेकर, सांसद, ने 20 नवम्बर, 2013 को समापन समारोह के दौरान सांसदों को संबोधित किया।

प्रतिभागी इस बात के गवाह भी थे कि बहुत ही सरल उपाय, जैसे पार्क में एक या एक से अधिक बेंच लगाना, लागत–प्रभावी कदम हो सकता है ताकि बुजुर्ग अपने घरों से बाहर जाकर सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकें।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम पर दक्षिण-पूर्व एशिया उप-क्षेत्रीय संसदीय बैठक तथा एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास कार्यकारी समिति की ७४वी बैठक

मनीला, फिलीपींस, अक्टूबर 17–19, 2013

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में मानव तस्करी को रोकने के लिए, इस क्षेत्र के सांसदों की मनीला में एक बैठक बुलाई गई, क्योंकि नई रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार दुनिया में 30 लाख लोगों की तस्करी की जाती है इसका लगभग 72 प्रतिशत एशिया–प्रशांत क्षेत्र से है।

मनीला में, महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम पर दक्षिण–पूर्व एशिया उप–क्षेत्रीय संसदीय बैठक, 17–19 अक्टूबर, 2013 में एकत्र सांसदों ने मानव तस्करी एवं हिंसा पर सटीक आंकड़ों की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इसका उपयुक्त समाधान किया जा सके। डा. राम प्रकाश, सांसद, भारत, एवं श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने इस बैठक में भाग लिया।

(बायें से): श्री मनमोहन शर्मा, डा. राम प्रकाश, सांसद, भारत, श्री यासुओ फुकुदा, पूर्व प्रधानमंत्री, जापान एवं प्रो. केईजो ताकेमी, सांसद, जापान एवं अध्यक्ष, ए.एफ.पी.पी.डी.

वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा वैश्विक गुलामी सूचकांक 2013 जारी किया गया, जिसने गुलामी के साथ ही, बंधुआ मजदूर या मानव तस्करी एवं अवैध कार्य जैसे कर्जदार गुलाम, जबरन शादी तथा महिलाओं तथा बच्चों के शोषण को "छुपे हुए अपराधों" के रूप में शामिल किया गया था। यह उल्लेख करना अत्यंत खेदजनक है कि दुनिया के शीर्ष के दस देशों में से हमारे क्षेत्र से छह देश गुलामी वाले शीर्ष देशों में शामिल हैं। रागोन सान पॉस्कोल, कार्यकारी निदेशक, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास का कहना था कि हमें इन मुद्दों के समाधान के लिए सभी देशों की सरकारों एवं सांसदों के साथ तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।

दक्षिण–पूर्व एशिया विश्व के चिर–परिचित मानव तस्करी केंद्रों में से एक है। इस क्षेत्र में तथाकथित प्रवास ने भी यौन व्यापार उद्योग के रूप में मानव तस्करी के परिदृश्य को बदल दिया है। युवा लड़कियों एवं महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या के साथ ही यह क्षेत्र मानव तस्करी का शिकार हुआ है। इस उप–क्षेत्र में व्यावसायिक सैक्स एवं श्रम शोषण की तस्करी से निपटने के लिए नीतिगत तथा राजनीतिक स्तरों पर ठोस उपायों की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का उन्मूलन न केवल मानव अधिकारों की प्राथमिकता है, बल्कि तस्करी को समाप्त करने का भी प्रमुख उपाय है। भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास ने आस्ट्रेलियाई एड की सहायता से नीतियों तथा कानूनों के माध्यम से आधुनिक गुलामी को खत्म करने का प्रयास किया है। एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास द्वारा सांसदों को देश–विशेष नीतिगत सिफारिशों के आधार पर दक्षिण–पूर्व एशिया में मानव तस्करी पर एक संक्षिप्त नीति शुरू की गई है। "हमें परिवर्तन लाने के लिए इन प्रमाण–आधारित कार्रवाईयों की आवश्यकता है क्योंकि हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग मानव तस्करी से पीड़ित हैं," सीनेटर वलेयर मूर, उपाध्यक्ष, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास का कहना था। क्योंकि आबादी एक देश से दूसरे देश में प्रवास करती है, इसलिए सरकारों को हर व्यक्ति के मानव अधिकारों एवं कल्याण को देश के भीतर तथा देश से बाहर अधिक से अधिक संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। सांसदों द्वारा मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को समाप्त करने के लिए नीतिगत पहलों की प्रतिबद्धता तथा प्रवासी श्रमिकों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई। वे गैर–सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग से तस्करी के शिकार लोगों को सहायता तथा आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करेंगे।

महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए पुरूष सांसदों की स्थायी समिति की बैठकः महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए पुरूष सांसदों की स्थायी समिति के सदस्यों ने अक्टूबर 18, 2013 को मनीला, फिलीपींस में मुलाकात की। उन्होंने अपने संबंधित देशों में महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई तथा हिंसा को संबोधित करने वाले प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। श्री रेमन सैन पॉस्कल, कार्यकारी निदेशक, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास इस मंच के महासचिव की ओर से बोल रहे थे तथा उन्होंने मेकांग उप–क्षेत्र में तस्करी के मुद्दे पर सभी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा। यह चर्चा की गई कि, एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास मेकांग उप–क्षेत्रीय देशों में सांसदों के बीच नीतिगत वार्ता को सफल बनाएगा। एशियाई संसदीय मंचः जनसंख्या एवं विकास विभिन्न देशों में संक्षिप्त नीतियां फिर से शुरू करने के अवसरों का स्वागत भी करेगा। स्थायी समिति दक्षिण–पूर्व एशिया में मानव तस्करी पर संक्षिप्त नीति का शुभारंभ भी करेगी। संक्षिप्त नीति में प्रत्येक देश में नीति–निर्माताओं के लिए तस्करी के मामलों को गहराई से समझने, इसके दुष्परिणामों, नीति एवं कानूनी रूपरेखा तथा नीतिगत संबंधी सिफारिशें शामिल होंगी।

पिछले एक दशक में शिशु मृत्यु दर में ३० प्रतिशत कमी

तीव्र गति से गिरावट ने, तमिलनाडु को पिछले एक दशक में शिशु मृत्यु दर को आधे के स्तर पर पहुंचाया जबकि कुछ अन्य राज्यों – महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में लगभग 40% की महत्वपूर्ण गिरावट हुई। देश में समग्र शिशु मृत्यु दर एक तिहाई कम हुई है। यह बात 2012 में जनसंख्या कार्यालय नमूना पंजीकरण योजना के तहत एकत्रित नवीनतम महत्वपूर्ण आंकड़ों से पता चली है।

शिशु मृत्यु दर की गणना एक वर्ष में प्रत्येक 1000 जीवित जन्म पर एक वर्ष से कम के शिशुओं की मौत की रूप में की जाती है। इसे लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण स्तरों, गरीबी एवं शिक्षा के स्तर का प्रमुख संकेतक माना जाता है। 2015 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों का एक लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करना भी है।

भारत में ग्रामीण एवं शहरी शिशु मृत्यु दरों में निरंतर व्यापक अंतर है परन्तु यह कम हो रहा है। 2012 में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर 46 शिशु प्रति 1000 जीवित जन्म थी जबकि शहरी शिशु मृत्यु दर 28। वास्तव में, 2003 से शहरी मृत्यु दर 30% के मुकाबले ग्रामीण शिशु मृत्यु दर में 28% की कमी आई है।

परंतु राज्यों में इस गिरावट की अलग-अलग कहानियां हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जन स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं। तमिलनाडु में व्यापक एवं अपेक्षाकृत बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा पोषण कार्यक्रम स्पष्ट रूप से शिशु मृत्यु दर में सबसे आगे उभरकर आया है।

दो छोटे राज्यों, उत्तर-पूर्व में मणीपुर एवं पश्चिम में गोवा ने शिशु मृत्यु दर में केवल 10 के साथ देश में सबसे आगे है, इसके बाद केरल 12 है। ये शिशु मृत्यु दरें अमीर देश के मानकों के बराबर हैं। केरल में, पिछले 10 वर्षों में, शिशु मृत्यु दर में 9% की वृद्धि कुछ बदतर थी।

केरल सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान सबसे खराब					
भारत: 42 शिशु मृत्यु दर (2012), -30% बदलाव सन् 2003 से					
शिशु मृत्यु दर में 5 शीर्ष राज्य			शिशु मृत्यु दर में 5 सबसे निचले राज्य		
राज्य	शिशु मृत्यु दर (2012)	सन् 2003 से बदलाव	राज्य	शिशु मृत्यु दर (2012)	सन् 2003 से बदलाव
केरल	12	9%	राजस्थान	49	-35%
तमिल नाडु	21	-51%	ओडिशा	53	-36%
दिल्ली	25	-11%	उत्तर प्रदेश	53	-30%
महाराष्ट्र	25	-40%	असम	55	-18%
पंजाब	28	-43%	मध्य प्रदेश	56	-32%
स्रोत: एस.आर.एस. बुलेटिन 2013 एवं 2003, सी.आर.जी.आई.					

देश में, मध्य प्रदेश 2012 में 56 शिशु मृत्यु दर के साथ प्रमुख राज्यों में तालिका में सबसे नीचे था, जहां सबसे बदतर शिशु मृत्यु दर 60 थी। इसकी शहरी शिशु मृत्यु दर 37 है। हालांकि उड़ीसा एवं राजस्थान शिशु मृत्यु दर की दृष्टि से पांच सबसे निचले राज्यों में शुमार हैं, दोनों ने पिछले एक दशक में लगभग 35% की कमी अर्जित की है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की तरह, वे भी अतीत की उपेक्षा के शिकार हुए हैं।

कर्नाटक केवल बड़ी-आबादी वाला राज्य है जहां शहरी शिशु मृत्यु दर बदतर है, ग्रामीण क्षेत्रों में 40% कमी के बावजूद 4% की वृद्धि। आंध्र प्रदेश एवं असम में, शहरी शिशु मृत्यु दर में थोड़ी सी कमी आई है। अन्य राज्य – अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं उत्तराखंड हैं जहां शहरी शिशु मृत्यु दर बदतर है। एक लंबे समय से शहरी स्वास्थ्य संबंधी सुसंगत राष्ट्रीय नीति की कमी इस बात का सीधा कारण है।

उत्तर-पूर्व में, मिजोरम में पिछले एक दशक में शिशु मृत्यु दर में नाटकीय वृद्धि हुई है। यहां शिशु मृत्यु दर 2003 में 16 से 2012 में 35 की अपार वृद्धि हुई है। हालांकि यह इस क्षेत्र के उन राज्यों में से एक है जहां अलगाववादी रक्तपात हुआ। इसके रुके हुए रोजगार स्तर एवं गरीबी ने स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

स्रोत: सुबोध वर्मा, टी.एन.एन., अक्टूबर 22, 2013

सम्पादक की कलम से

पक्षसमर्थन (एडवोकेसी) करना निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक प्रमुख काम है एवं विभिन्न कार्यशालाओं में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पक्षसमर्थन, संचार संबंधी ध्यानाकर्षित करना ज्ञानार्जन के सबसे वांछित पहलुओं में से एक है। जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी मुद्दों पर पक्षसमर्थन एक चुनौतीपूर्ण काम है, विकासशील देशों में तो यह और भी चुनौतीपूर्ण है, जहां अभी भी आबादी का अधिकांश भाग निरक्षर है। इस प्रकार, विभिन्न आबादियों हेतु अलग–अलग पक्षसमर्थन/संचार अभियानों की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में सामाजिक मीडिया ने दुनिया भर में एक व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। सामाजिक मीडिया के अनेक लाभ हैं जो मीडिया नहीं दे पाता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट एवं मोबाइल फोन के माध्यम से सेवा प्रदाताओं एवं अन्य संसाधनों तक सीधे तथा तत्काल संचार सेवाएं पहुंच जाती हैं। मीडिया के लाभों को समझने के लिए यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विकासशील देशों में आम जनता से पक्षसमर्थन संचार के लिए सामाजिक मीडिया पक्षसमर्थन की गुंजाइश अभी भी लक्ष्य से दूर है। दुनिया में विकासशील देशों की साठ प्रतिशत आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहां सामाजिक मीडिया – जैसे मोबाइल, इंटरनेट एवं कम्प्यूटर के साधन बहुत ही सीमित हैं। इसलिए, विकासशील देशों में सामाजिक मीडिया की भूमिका अभी भी काफी हद तक शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है।

आज सामाजिक मीडिया के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि निःसंदेह यह किसी पेशेवर को बढ़ावा देने, नेटवर्क बनाए रखने, समान–विचारधारा के पेशेवर समूहों को जोड़ने तथा काम के प्रति किसी की रुचि को बनाए रखने का भी एक माध्यम है। यदि सामाजिक मीडिया व्यवसाय विकास, छात्रों के अध्ययन, अनौपचारिक सीख एवं संचार के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा में प्रमुख भूमिका निभा सकता है तो जनसंख्या, इत्यादि मुद्दों की दिशा में क्यों नहीं निभा सकता है।

सामाजिक मीडिया का रणनीतिक प्रयोग: लोगों के स्वास्थ्य/जीवन गुणवत्ता संबंधी विकल्पों को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक कारकों (राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, आदि) सहित दर्शकों को पूर्णतः एवं अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। यह अधिकतर युवा आबादी के मामले में देखा जाता है, जहां सामाजिक मीडिया में दी गई मूलभूत सूचना का प्रभाव काफी हद तक उनके कार्यों पर पड़ता है।

एक प्रभावी, रणनीतिक संचारक बनने के लिए सकारात्मक नज़रिये एवं संस्कृतियों को समझने, विचारों के महत्व का सम्मान करने, उपलब्ध उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी एवं रोजगार (जो सुलभ एवं सस्ती हों) को अपनाने की दिशा में सुविज्ञ संचार कौशल तथा रणनीतियों की आवश्यकता होती है। एक प्रेरक बनने के लिए, उन्हें विश्वसनीय होना चाहिए। यहां दो अलग–अलग रणनीतियां रखी हैं जिनमें अभियान/राजनीतिक पक्षसमर्थन के लिए सामाजिक मीडिया का उपयोग निहित है, जैसे:

1. दर्शकों के रूप में नागरिकों एवं युवाओं का उपयोग करते समय निर्वाचित नेताओं के संदेशों/वक्तव्यों का संचार पैकेज के रूप में उपयोग करना।
2. सामाजिक मीडिया के माध्यम से एक जागरूक दर्शक के रूप में निर्वाचित नेताओं तक पहुंच का लक्ष्य निर्धारित करना।

उपरोक्त उपलब्ध अनुसंधान दर्शाते हैं कि सामाजिक मीडिया के माध्यम से ही निर्वाचित नेताओं तक जागरूक दर्शक पहुंच पाते हैं, परंतु एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में अधिकतर निर्वाचित नेताओं तक कम्प्यूटर/इंटरनेट की सुविधा के अभाव में इस दिशा में सफल परिणाम सामने नहीं आये हैं। भारत में दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन) के हाल के निष्कर्षों से पता चला है:

1. सांसदों, विधायकों एवं पंचायतों को काफी हद तक उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के साथ ऑनलाइन संपर्क से दूर रखा जाता है;
2. 545 लोकसभा (निचले सदन) सदस्यों में से केवल 80 (14%) सदस्य ही ऑनलाइन हैं;
3. केवल 15 राज्यों के सांसद ही ऑनलाइन हैं एवं अन्य 15 राज्यों का एक भी सांसद ऑनलाइन नहीं है;
4. पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसमें आठ राज्य शामिल हैं, केवल एक सांसद सुश्री अगाथा संगमा ही ऑनलाइन है; एवं
5. वर्तमान लोकसभा में अब तक के सबसे अधिक 59 महिला सांसद हैं, जो पिछले सदन से 14 अधिक हैं, परंतु केवल छह महिला सांसद ही ऑनलाइन हैं।

इसलिए यह पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आईसीपीडी 2014 एवं 2015–एजेंडा के बाद आगामी अभियान में सामाजिक मीडिया के साथ निर्वाचित नेताओं को यथासंभव शामिल किया जाएगा। हालांकि लक्षित दर्शक केवल नेट–सक्रिय युवा एवं शहरी व्यक्ति थे। इस प्रकार, योजनाबद्ध अभियान के माध्यम से राजनीतिक नेताओं को सामाजिक मीडिया के दर्शक के रूप में मान लेने से वांछित परिणाम हासिल होना जरूरी नहीं है।

मनमोहन शर्मा
कार्यकारी सचिव
भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास

(श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास द्वारा 16 एवं 17 जुलाई 2013 को दावाओ, फिलीपींस में एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या तथा विकास द्वारा आईसीपीडी–2014/2015 के बाद विषय पर आयोजित कार्यशाला में दिए गए भाषण के अंश)

आईसीपीडी २०१४/२०१५ के बाद कार्यसूची संबंधी एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास संचार कार्यशाला

टागयटे, फिलीपींस, जुलाई 16 एवं 17, 2013

विगत 30 वर्षों में, संचार क्रांति ने सांसदों में जागरूकता फैलाने एवं ज्ञान में बढ़ोतरी करने तथा जनसंख्या एवं विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यसूची तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने हेतु जनसंख्या एवं विकास संबंधी मुद्दों की दिशा में उन्हें प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास संस्थागत समीक्षा रिपोर्ट 2012 दर्शाती है कि सांसद विभिन्न मुद्दों पर ज्ञान तथा जानकारी के स्रोत हैं।

कार्यशाला का दृश्य।

इसे ध्यान में रखते हुए, एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास द्वारा फिलीपींस विधायक समिति: जनसंख्या एवं विकास के साथ भागीदारी तथा यूएनएफपीए तथा जापान ट्रस्ट फंड के सहयोग से जुलाई 16 एवं 17ए 2013 को टागयटे, फिलीपींस में आईसीपीडी 2014/2015 के बाद कार्यसूची संबंधी एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास संचार कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य आईसीपीडी–2014 एवं 2015–के बाद कार्यसूची पर विशेष ध्यान देते हुए आगामी एशिया–प्रशांत सम्मेलन: जनसंख्या एवं विकास, सितंबर, 2013 के अनुसार क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय सांसदों के अभियान संबंधी योजना विकसित करके एशियाई संसदीय मंच: जनसंख्या एवं विकास की राष्ट्रीय समितियों की क्षमता में सुधार करना था। श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

श्री मनमोहन शर्मा
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास ने कहा कि हम सभी के लिए पक्षसमर्थन एक प्रमुख काम है तथा इस कार्यशाला के माध्यम से पक्षसमर्थन संचार पर ज्ञान हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी मुद्दों पर पक्षसमर्थन एक चुनौतीपूर्ण काम है, विकासशील देशों, जहां पर अधिकांश आबादी अभी भी निरक्षर है, यह और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। विभिन्न आबादियों के लिए अलग–अलग पक्षसमर्थन अभियानों/संचार की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक मीडिया के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसे वर्तमान परिदृश्य में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

आईसीपीडी-२०१४ के बाद कार्रवाई की दिशा में दक्षिण-एशियाई क्षेत्रीय संसदीय एवं नागरिक समाज नेताओं की परामर्श संबंधी जनसंख्या कार्यक्रमों के प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद बैठक

काठमांडू, नेपाल, अगस्त 26–27, 2013

डा. वसीम जमान प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

आईसीपीडी–2014 के बाद कार्रवाई की दिशा में दक्षिण–एशियाई क्षेत्रीय संसदीय एवं नागरिक समाज नेताओं द्वारा जनसंख्या कार्यक्रमों के प्रबंधन पर परामर्श संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद की एक दो–दिवसीय परामर्श बैठक, काठमांडू, नेपाल में अगस्त 26–27, 2013 को आयोजित की गई। इस परामर्श बैठक को हेविंक एवं जूरिल फाउंडेशन का समर्थन एवं जनसंख्या अध्ययन संबंधी केंद्रीय विभाग, नेपाल, का सहयोग प्राप्त था।

इस बैठक में सार्क सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों के साथ ही नागरिक समाज संगठनों ने इसका प्रतिनिधित्व किया, जो प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन संबंधी मुद्दों का जायजा लेने हेतु काठमांडू में आयोजित इस दो–दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श में एकत्र हुए थे। ये मुद्दे 1994 में काहिरा में अपनाई गई आईसीपीडी कार्ययोजना के बाद विगत बीस वर्षों में उभरकर सामने आये थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डा. जगन्नाथ मांडा, सांसद व उपाध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास; श्रीमती विप्लव ठाकुर, पूर्व सांसद तथा उपाध्यक्ष, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास; श्री राजेश वर्मानी, विधायक, मुख्य संसदीय सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार; तथा श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थानः जनसंख्या एवं विकास द्वारा किया गया।

बैठक के प्रारंभ में, डा. वसीम जमान, कार्यकारी निदेशक, जनसंख्या कार्यक्रमों के प्रबंधन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ने राजनीतिक एवं नागरिक समाज के नेताओं से सवाल किए कि उन्नत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रणाली के बावजूद अभी भी बच्चों के जन्म के समय अनेक महिलाओं की क्यों मृत्यु हो रही है; क्यों अनेक नवजात शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु हो जाती है; क्यों महिलाओं के साथ भेदभाव व हिंसा की जाती है; क्यों बालिकाओं को

प्रतिभागियों का ग्रुप चित्र।

श्रीमति विप्लव ठाकुर, पूर्व सांसद, प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

जन्म से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है; तथा क्यों युवाओं को बुनियादी जानकारी एवं सेवाओं के उपयोग से वंचित किया जाता है?

उद्घाटन सत्र के दौरान, अफगानिस्तान, बंग्लादेश एवं नेपाल के मंत्री उपस्थित थे। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता सुश्री ज़किया शाहनवाज़, जनसंख्या मंत्री, पंजाब सरकार, पाकिस्तान, द्वारा की गई।

दो-दिवसीय गहन विचार-विमर्श एवं चर्चा के बाद, क्षेत्रीय परामर्श बैठक में सर्वसम्मति से 2014 के बाद आईसीपीडी कार्यसूची को आगे बढ़ाने तथा इस दिशा में कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। इसमें नीतिगत मुद्दों, संसाधनों, सेवाओं, मानव संसाधनों, युवाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों, सुरक्षित गर्भपात, लिंग आधारित हिंसा, लिंग समानता, पुरुष भागीदारी, उभरती चुनौतियों, नागरिक समाज, शासन एवं सार्क देशों की भागीदारी संबंधी मुद्दे उठाये गये।

"दक्षिण एशियाई देशों की जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर एक आम सहमति है। हम शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में की गई उपलब्धियों को बनाए रखने तथा युवाओं एवं किशोरों की अद्वितीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास भागीदारों से निरंतर समर्थन चाहते हैं," श्रीमती विप्लव ठाकुर, सांसद, का कहना था।

डा. जगन्नाथ मांडा, सांसद, प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

डा. जगन्नाथ मांडा ने अपने सम्बोधन में कहा कि लगभग हर दिन, दक्षिण एशिया में प्रसव संबंधी जटिलताओं से दर्जनों माताओं की मौत हो जाती है। इसी तरह, पांच साल की उम्र पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या अभी भी बड़ी तादाद में है। दक्षिण एशिया में बच्चों में विकास अवरुद्ध, दस्त एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं। बेशक, इस क्षेत्र के कुछ देशों ने जनसंख्या एवं विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की है, फिर भी, उन्हें अभी इन उपलब्धियों एवं प्रगति को बनाए रखने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी है।

कार्यशाला का दृश्य।

पोलियो उन्मूलन में विकास

(भारत पोलियो मुक्त समुदाय

दीपक गुप्ता*

भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, रोटरी इंटरनेशनल तथा अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र के बीच 1995 में गहन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण हेतु एक मजबूत भागीदारी हुई थी, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को मौखिक पोलियो खुराक दी गई, उनकी तत्कालीन टीकाकरण स्थिति को देखे बिना एवं भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए मौखिक पोलियो खुराक दी गई। उस समय, संचार का प्रयोग सीमित था क्योंकि बच्चों को पोलियो की खुराक देने संबंधी पूरे प्रयास सार्वजनिक क्षेत्र टीकाकरण टीम द्वारा ही किए जाने थे।

स्वास्थ्य संचार: "उत्पाद" या "स्वस्थ व्यवहार/अवधारणाओं" को बढ़ावा देना?

प्रभावी संचार निश्चित रूप से पोलियो सहित विभिन्न जानलेवा बीमारियों से समुदायों को बचाने में एकमात्र सर्वशक्तिशाली टीका है। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि भारत में पोलियो उन्मूलन में संचार के उपयोग की एक प्रमुख कारक के रूप में पहचान की गई है। यह इसलिए भी जरूरी है कि भारत में पोलियो उन्मूलन के लिए सुनियोजित संचार ने रणनीति का पालन करने एवं सतत प्रयासों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश ने पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की दिशा में नए महामारी विज्ञान संबंधी आंकड़ों एवं बहु-संचार चैनल का प्रयोग करके सफलता हासिल की है। हालांकि, पोलियो उन्मूलन के लिए संचार रणनीतिक नहीं रहा, क्योंकि इसने पोलियो-खुराक को अधिकतर बढ़ावा दिया, जबकि पोलियो विषाणु (जैसे नियमित टीकाकरण की निम्न दर, स्वच्छता का अभाव, स्वच्छ पेयजल की कमी, पोषण की कमी, इत्यादि) के फैलने के कारणों को व्यवहार-परिवर्तन विषयवस्तु/सामग्री के रूप में बढ़ावा नहीं दिया गया। इसलिए, यहां तक कि जानकारी एवं अनेक समुदायों की अनुभूतियों के बावजूद भी पोलियो संचरण जारी रहा। पोलियो संचार की मौजूदा सामग्री प्रचारात्मक है जो पोलियो के बारे में समुदाय को बिना पर्याप्त जानकारी के पोलियो टीकाकरण हेतु बाजार के उपयोग पर आधारित है।

पोलियो से संबंधित संचार की सतत आधार पर सभी स्तरों पर समीक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप संचार कार्यक्रमों के बारे में प्रक्रिया निर्माण तथा संचार विशेषज्ञता शामिल करने में मदद मिली। भारत में, पारस्परिक संचार एवं सामाजिक चैनलों सहित प्रमाण-आधारित संचार रणनीतियां जिसमें आत्मनिर्भर प्रयासों के माध्यम से लोगों की भागीदारी बनाना शामिल है, ने पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रभावी स्वास्थ्य संचार पहुंचाने में अंततः सहयोग दिया। इन प्रयासों में समुदाय संगठनों, राष्ट्रीय, स्थानीय एवं राज्य सरकारों, पेशेवर संगठनों तथा मीडिया की भागीदारी शामिल है। यह स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर मीडिया अभियानों एवं सतत राजनीतिक इच्छा-शक्ति ने मिलकर, पोलियो की घटनाओं को कम करने में योगदान दिया है, जिससे हम इस स्थिति पर पहुंच सके कि जनवरी 13, 2011 के बाद पोलियो वायरस का एक भी ताजा मामला नहीं देखा गया। हालांकि, चिकित्सा विशेषज्ञों/टीकाकरण विशेषज्ञों ने पोलियो उन्मूलन हेतु स्वास्थ्य संचार का अत्यंत प्रभावी एवं सकुशल तरीके से फैसला लिया, कई संचार वैज्ञानिकों ने इसकी सीमाओं से लड़ाई की जिससे पोलियो-संचार का उन्मूलन हुआ। प्राथमिक रूप से इसी कारण पोलियो-वायरस संचरण के जोखिमी-कारकों को स्वास्थ्य-प्रयासों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ा गया।

भारत में दो वर्ष से कम के बच्चों में (75%) पोलियो के मामलों का पता चला है जो अधिकतर गरीब मुस्लिम एवं अनुसूचित हिन्दू समुदाय से थे। ये बच्चे बुनियादी स्वच्छता की कमी से ग्रस्त, अत्यंत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निवास करते थे, जहां पर जन-स्वास्थ्य प्रणाली अपर्याप्त थी तथा नियमित टीकाकरण की खराब स्थिति सहित मौखिक पोलियो खुराक से वंचित थे। पोलियो कार्यक्रम को अन्य प्रमुख चुनौतीयों का सामना करना पड़ा; यहां तक कि अधिकांश माता-पिता पोलियो खुराक से बच्चे की सुरक्षा के प्रति जागरूक होने के बावजूद, वे एक ऐसी पोलियो खुराक को बार-बार दिए जाने की आवश्यकता संबंधी तर्क समझ नहीं पाए। पोलियो की मौखिक खुराक के बारे में गलतफहमी एवं बार-बार पोलियो अभियान के प्रति संदेह, जिसमें बच्चों का पोलियो खुराक के बाद बीमार होना भी शामिल था, इसे घटिया टीकों, बच्चों के बड़े होने पर बांझपन का कारण तथा सबसे महत्वपूर्ण इसे जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के रूप में अप्रभावी माना गया। इसलिए भारत में इस महत्वपूर्ण वर्ग तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण रणनीति बन गई एवं संचार के निरूपण तथा कार्यान्वयन में एक मोड़ साबित हुआ क्योंकि यह मानना था कि मौखिक पोलियो खुराक की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार एवं सामाजिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं था।

संचार: विकसित और सफल?

ी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है!)

अनुभा अग्रवाल**

जरूरतमंदों तक पहुंचना

जरूरतमंदों एवं दूरदराज की आबादी, सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय तथा ऐसे परिवारों जहां पर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य बुनियादी सेवाओं के अभाव के कारण पोलियो वायरस संक्रमण उच्च–स्तर पर है उन तक पहुंचना एक चुनौती है। इन समूहों में खानाबदोश, प्रवासी जनसंख्या समूह एवं उच्च–स्थानिकमारी वाले राज्यों के अन्य प्रवासी भी शामिल है जो अन्य राज्यों की राजधानियों के उप–शहरी समूहों से हैं। इसलिए, पोलियो उन्मूलन के लिए समग्र संचार दृष्टिकोण में 'सामाजिक एकजुटता' शामिल है एवं भारत में संचार इस कार्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण समर्थन बन गया है।

उभरती हुई रणनीति में संपूर्ण रूप से महिला समुदाय तक पहुंचना एवं उन्हें जोड़ने पर ध्यान देना शामिल है। संचार के प्राथमिक चैनलों को पारस्परिक संचार उपायों के रूप में रखा गया जहां मौखिक पोलियो खुराक के महत्व एवं इसकी सुरक्षा तथा प्रभावकारिता एवं युवा बच्चों के लिए इसके लाभ को रखा गया है। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया एवं प्रचारक बनाया गया तथा इन प्रयासों को सीधे तौर पर माताओं/देखरेखकर्ताओं के साथ संचार नेतृत्व एवं कभी–कभी उनके पुरूष समकक्षों तथा धार्मिक नेताओं के सहयोग से अप्रत्यक्ष तौर पर नेतृत्व प्रदान किया गया।

बहु–स्तरीय एवं स्तरीकृत स्वास्थ्य संचार

पोलियो उन्मूलन के लिए अधिक प्रभावी संचार प्रणाली विकसित करने की संपूर्ण प्रक्रिया में मीडिया अभियानों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं आम जनता में निरंतर जागरूकता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसमें "ब्रांड" एवं "बुनियादी संदेश प्रोत्साहन" शामिल है, विशेष रूप से अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियों की असरकारक आवाज का प्रयोग करते हुए – "दो बूंद जिन्दगी की"। फिर भी, पारस्परिक संचार एवं सामाजिक एकजुटता मीडिया संचार के लिए प्रमुख रूप से सहायक है तथा इस प्रकार, भारत में दूरदराज की आबादी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बन गया है।

समस्त भारत में क्षेत्र स्तर पर, विशेष रूप से महामारी एवं उच्च–जोखिम वाले राज्यों पर ध्यान देने के लिए, जहां जिलों के स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक विशाल सामाजिक नेटवर्क है वहीं सरकार के साथ इस तरह के प्रभावी पारस्परिक संचार एवं सामाजिक एकजुटता के महत्वपूर्ण कार्य हेतु प्रशिक्षित तथा समर्पित संचार संवर्ग का एकदम अभाव है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न स्तरों जैसे जिला/उप–जिला/ब्लॉक एवं अंत में ग्राम स्तरों पर समन्वय स्थापित कर काम करते हैं। घर–घर दौरा करके गहन एवं बार–बार पारस्परिक संचार तथा समुदाय एवं धार्मिक नेताओं तथा प्रभावशाली लोगों को एक मंच पर लाना भी इन गतिविधियों में शामिल है एवं जरूरतमंद समुदाय/दूरदराज के लोगों की सहायता संबंधी गतिविधियों में मुस्लिम संस्थाओं के प्रभावशाली व्यक्तिओं को पोलियो कार्यक्रम में निरंतर शामिल करना है। ये गतिविधियां अल्पसंख्यक आबादी में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के प्रति विश्वास एवं विश्वसनीयता बनाने में बुनियादी संस्थाओं के साथ लगी हैं, जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद समुदायों में इस दिशा में व्यापक सुधार हुआ है।

इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि पोलियो कार्यक्रम को लोक मीडिया के योगदान से जागरूकता एवं उपस्थिति बढ़ाने में अत्यधिक लाभ हुआ है। जनसंपर्क अभियानों में फिल्म एवं क्रिकेट सितारे तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक हस्तियों ने मौखिक पोलियो टीकाकरण संबंधी अफवाहें दूर करने एवं बच्चों के टीकाकरण हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के 3500 से अधिक गांवों में कठपुतली/थियेटर शो, वीडियो वैन एवं अन्य लोक जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की गई, जिसने बूथ उपस्थिति में 20% की वृद्धि करने में योगदान दिया है।

स्वास्थ्य सेक्टर के लिए सबक लेना होगा: पोलियो के लिए रणनीतिक संचार

सहक्रियात्मक संचार गतिविधियों – सामाजिक एकजुटता, पारस्परिक संचार, लिंग एवं सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हस्तक्षेपों, लोक जनसंपर्क एवं राजनीतिक पक्षसमर्थन ने पोलियो कार्यक्रम की समग्र सफलता में अत्यंत योगदान दिया है, जिससे कार्यक्रम को भारत के दूरदराज एवं कमजोर आबादी वाले समूहों तक पहुंचने में मदद मिली है। रणनीतिक एवं नवीन पोलियो संचार अन्य जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं पहलों में योगदान दे सकता है। कुछ बुनियादी तत्वों में, जिन्हें रणनीतिक स्वास्थ्य संचार को जोड़ने की दिशा में मजबूत होना चाहिए, उनमें क्षेत्र–विशेष का विकास एवं जरूरतमंद संचार हस्तक्षेप तथा उचित

संचार चैनलों का चयन; पारस्परिक संचार का गहन उपयोग तथा सभी स्तरों पर सामाजिक एकजुटता; सामुदायिक नेताओं का सक्रिय रूप से समर्थन, पंचायतीराज संस्थाओं, धार्मिक प्रवक्ताओं, स्थानीय संचार, लोक आधारित जनसंपर्क एवं सामुदायिक भागीदारी; प्रत्येक परिवार तक पहुंचने में प्रशिक्षित एवं कुशल/प्रभावी संचार–कार्यकर्ताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग; अच्छी तरह से डिजायन मनोरंजन–शिक्षित दृष्टिकोण; लाभ–संदेश में प्राथमिक सामग्री अनिवार्य रूप से शामिल; जमीनी स्तर पर गहन सामाजिक एकजुटता; तथा पारस्परिक संचार में सुधार एवं मुश्किल से पहुंच वाले समूहों तक पहुंच में वृद्धि हेतु सामाजिक/लिंग विषमताओं को दूर करना शामिल है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि पोलियो अभियान परिचालन कार्य के साथ ही आंकड़ा संचालित संचार एकीकरण कार्यक्रमों का एक बेहतर उदाहरण भी है। नीति समुदाय को अनुभवजन्य निष्कर्षों के लिए विकास/स्वास्थ्य संचार का आधार चाहिए, जैसा कि स्पष्ट है; पोलियो कार्यक्रम ने दर्शाया है कि सबसे प्रभावी परिचालन परिणाम देने में आंकड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि अभी तक पोलियो संचार ने कई तरीके से पोलियो–खुराक की मांग पैदा करने को निरंतर प्रोत्साहित किया है, जबकि यह संचार–सामग्री के प्राथमिक जोखिम–कारकों में पूर्णतः गायब है। इसलिए, जब ऐसी मांग पैदा करने वाली रणनीति अच्छी तरह से पेश की जाती है, तो पोलियो वायरस पर अल्पावधि में ही काबू किया जा सकता है; निश्चित रूप इस तरह की रणनीति दीर्घकालीन आधार पर पोलियो उन्मूलन में वांछित परिणाम नहीं दे सकती है। इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि मौजूदा पोलियो संचार सामग्री अधिकतर 'उत्पाद प्रदोन्नति' (ओपीवी) पर आधारित है; इस सामग्री में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, नियमित टीकाकरण एवं पोषण को बढ़ावा देने का स्पष्ट अभाव है जो समुदायों में पोलियो के रोकथाम को मजबूत करेगा।

लेखकों के बारे में:
*श्री दीपक गुप्ता – एशिया में एक वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्रविशेषज्ञ (रणनीतिक संचार व कार्यक्रम) एवं शोधकर्ता
**सुश्री अनुषा अग्रवाल – युवा/किशोर एवं विकास हेतु संचार चिकित्सक एवं शोधकर्ता

जनसंख्या एवं विकास पर २९वी एशियाई संसदीय बैठक तथा एशियाई जनसंख्या एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित जनसंख्या एवं विकास पर संसदीय अध्ययन दौरा

मनीला, फिलीपींस, अगस्त 28–30, 2013

भारत सहित, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के 14 देशों के सांसदों ने एक सांस्कृतिक बहुलवादी समाज में जनसंख्या एवं विकास पर अगस्त 28–30, 2013 को मनीला, फिलीपींस, में आयोजित इस उच्च स्तरीय वार्ता में भाग लिया।

श्री मनमोहन शर्मा
प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

सभी प्रतिभागी फिलीपींस कांग्रेस के द्वारा किए गए उन अनुभवगत प्रयासों में रूचि ले रहे थे, जिसमें उन्होंने प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक सफलतापूर्ण पारित किया था। प्रतिभागियों ने जनसंख्या एवं विकास पर फिलीपींस विधायक समिति द्वारा धार्मिक सिद्धांतों एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के प्रबंधन की जरूरत की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

प्रतिभागियों के अनुसार, एक बहुलवादी समाज में जनसंख्या एवं विकास को कैसे आगे संतुलित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक आम चिंता का विषय बन गया है।

समापन सत्र में, माननीय लोशिको अबे – विदेश मामलों के संसदीय उपमंत्री एवं सदस्य, जेपीएफपी, द्वारा जनसंख्या एवं विकास के क्षेत्र में संसदीय गतिविधियों को आगे और मजबूत बनाने के लिए यूएनएफपीए से आग्रह किया गया। इस तरह के समर्थन से उन्हें इसकी प्रकृति के साथ ही इसमें आने वाली कठिनाईयों को समझने में मदद मिलेगी।

बैठक के बाद, प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्वदेशी जनप्रतिनिधि नेताओं एवं स्थानीय अधिकारियों से विधेयक को पारित करने संबंधी प्रयासों तथा इसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बागियो शहर का दौरा किया गया।

अध्ययन दौरे के अंत में, प्रतिभागियों द्वारा जनसंख्या संबंधी मुद्दों को संबोधित करने, सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में गति प्रदान करने तथा 2015 के बाद सतत विकास एवं न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने हेतु कार्रवाई करने तथा निरंतर प्रतिबद्धता की घोषणा की गयी।

इस बैठक का आयोजन एशियाई जनसंख्या एवं विकास संगठन द्वारा किया गया तथा इसकी मेजबानी पीएलसीपीडी द्वारा की गई।

अध्ययन दौरे के गणमान्य प्रतिभागी।

तिमोर लिस्ते (उपद्वीप) के संसदीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास का दौरा

सितंबर 7, 2013 को

संसदीय दल सदस्य चर्चा करते हुए।

तिमोर–लिस्ते के दस सदस्यीय महिला सांसदों तथा लिंग एवं कानूनी सलाहकार दल ने सितंबर माह में भारत का अध्ययन दौरा शुरू किया। दल की उपाध्यक्ष, माननीय अलबीना मारकल फ्रेटास, सांसद, द्वारा प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की गई। उन्होंने कानूनों एवं लिंग आधारित हिंसा संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए तीन विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास, यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूएन महिलाओं, लिंग आधारित हिंसा पर कार्यरत, विशेष रूप से घरेलू हिंसा एवं यौन हिंसा पर कार्यरत प्रमुख वकीलों एवं विषय से जुड़े शीर्ष शिक्षाविदों तथा लिंग आधारित हिंसा पर कार्यरत विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों के वार्ताकारों से भी मुलाकात की। उन्होंने जिन राज्यों का दौरा किया उनमें नई दिल्ली, पुणे एवं मुंबई शामिल थे।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, श्री मनमोहन शर्मा, कार्यकारी सचिव, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास, ने उनके भारत तथा साथ ही संस्थान का दौरा करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री शर्मा ने भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास के 33 साल के कार्यकाल के मुख्य लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के बारे में प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी तथा इस अवधि में स्वास्थ्य, जनसंख्या स्थिरीकरण एवं अन्य विकास मुद्दों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को संसद से ग्राम स्तर तक जुटाने, संवेदनशील बनाने की दिशा में किए गए पक्षसमर्थन प्रयासों से अवगत कराया।

श्री शर्मा एवं डा. पी.पी. तलवार, सदस्य, तकनीकी सलाहकार समिति, भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास, ने संस्थान की गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा कई सवाल पूछे गए, इनमें विशेष रूप से भारत में कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं परिवार नियोजन संबंधी उपाय हैं। श्री शर्मा एवं डा. तलवार ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब जैसे कुछ राज्यों में दो प्रति परिवार से कम कुल प्रजनन दर का उदाहरण देते हुए प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। हालांकि कुछ राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं मेघालय में यह दर अभी भी तीन से अधिक है, जो 2015 तक 2.1 के लक्ष्य से अधिक है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारत के संतोषजनक परिणाम जानकर प्रसन्न थे परंतु उन्होंने अपने देश के बारे में चिंता व्यक्त की, जहां कुल प्रजनन दर छह से अधिक है। इस अध्ययन दौरे की संपूर्ण सफलता का प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्वागत किया गया।

बहुतायत में उपलब्ध जानकारी एवं प्रतिनिधिमंडल को दिए गए विश्लेषण के विभिन्न स्रोतों से सुनिश्चित हो गया कि यह दौरा सांसदों के लिए सीखने की प्रक्रिया की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। सांसद अपने वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रहे थे, एवं तीन विभिन्न शहरों का यह दौरा रुचिकर तथा महत्वपूर्ण था, यहां एक ही समस्या का अलग–अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा दौरे का यह समय अत्यंत उपयुक्त समय था, क्योंकि दिल्ली बलात्कार के मामले के रूप में प्रतिनिधिमंडल को भारत में महिलाओं के साथ हिंसा का भारी प्रभाव देखने को मिला। वार्ताकारों की गुणवत्ता एवं विविधता को देखते हुए, प्रतिनिधिमंडल को तिमोर–लिस्ते में महिलाओं के साथ वैश्विक हिंसा की तुलना में महिलाओं के साथ राष्ट्रीय हिंसा के कार्यान्वयन की दिशा में कई तरह की जानकारी एवं सुझाव हासिल हुए।

तिमोर लिस्ते संसदीय दल सदस्य भारतीय संसदीय संस्थान: जनसंख्या एवं विकास के सदस्यों के साथ।